उत्तर प्रदेश शासन,
ग्राम्य विकास अनुभाग-2
संख्या-48/2016/सा0-778/38-2-2016-32बी/2013,
लखनऊ: दिनांक: 20 दिसम्बर, 2016

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-33 सन् 1961) की धारा-3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना संख्या-5445/38-3-478-70, दिनांक 18 सितम्बर, 1972 का आंशिक उपान्तरण करके राज्यपाल जिला-**अम्बेडकरनगर** में एक नया विकास खण्ड **"बेवाना"** सृजित करते हैं और इस अधिसूचना के दिनांक से नीचे अनुसूची के स्तम्भ-2 में यथा-विनिर्दिष्ट विकास खण्ड-अकबरपुर एवं कटेहरी के ग्रामीण क्षेत्रों को करते हैं और यह निदेश देते हैं कि उक्त स्तम्भ-2 में उल्लिखित खण्डों में वे क्षेत्र होंगे जो नीचे अनुसूची के स्तम्भ-3 में प्रत्येक खण्ड के समक्ष उल्लिखित न्याय पंचायत सर्किलों में सम्मिलित हैं।

अनुसूची

जिला का नाम	**खण्ड का नाम**	**न्याय पंचायत सर्किल, जिनसे खण्ड के क्षेत्र का गठन होगा**
1	**2**	**3**
अम्बेडकरनगर	अकबरपुर	अरिया, चॉदपुर भटपुरा, अफजलपुर, रामनगर नर्सिहंपुर, बरियावन, सतरही, लालापुर, बहोरिकपुर, सोनगांव, सैदापुर, नैली, जल्लापुर, चन्दनपुर की ग्राम पंचायत-चन्दनपुर, पीरपुर, यहिया कमालपुर, सिसानी अखईपुर, कजरी नन्दापुर, सैदपुर भीतरी, इस्माइपुर गंज, बेलउवा बरियारपुर एवं आलमपुर अखई
	कटेहरी	महरूवा गोला, अशरफपुर बरवां, अन्नावां, चिउटीपारा, खेमापुर, मरथुआ सरैया, सबना, पतापपुर चर्मुखा, सुभेरपुर, औरंगनगर की ग्राम पंचायत-औरंगनगर, पतौरा, आदमपुर तिन्दौली, सरखनी किसुनीपुर, हरिश्चन्द्रपुर, खरगपुर, आतडीह, खजूरडीह एवं नसीरपुर की ग्राम पंचायत-नसीरपुर, सुभाखरपुर, बलईपुर, मथानी, पिताम्बरपुर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

	बेवाना	कुर्चा, बेवाना, ताराखुर्द, रामपुर सकरवारी, चन्दनपुर की ग्राम पंचायत-अल्लीपुर कोडरा, औरंगनगर की ग्राम पंचायत-हरदौपुर, नारायनपुर एवं अंगवल, नसीरपुर की ग्राम पंचायत-समसपुर, बरामदपुर लोहरा, मंशापुर एवं गोसरपुर

आज्ञा से,

दीपक त्रिवेदी
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-48/2016/सा0-778**/38-2-2016-32बी/2013, तद्दिनांक :-**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- आयुक्त, ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2- महालेखाकार उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- समस्त मण्डलायुक्त उत्तर प्रदेश।
4- समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5- समस्त संयुक्त/उप विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6- निदेशक, पंचायतीराज, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7- निदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8- विधायी अनुभाग-1
9- पुस्तकालयाध्यक्ष, विधान सभा पुस्तकालय, विधान सभा सचिवालय को 05 प्रतियां।
10- पंचायतीराज अनुभाग-1/2/3
11- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2
12- संयुक्त सचिव, भाषा विभाग, उत्तर प्रदेश सचिवालय को इस अधिसूचना को उर्दू में अनुवाद कर असाधारण गजट में प्रकाशित कराने हेतु।
13- समस्त अनुभाग, ग्राम्य विकास विभाग।
14- समस्त अनुभाग, उत्तर प्रदेश सचिवालय लखनऊ।

आज्ञा से,

सुशील कुमार पाण्डेय
संयुक्त सचिव।

संख्या-48/2016/सा0-778**/38-2-2016-32बी/2013, तद्दिनांक :-**

प्रतिलिपि अधिसूचना के अंग्रेजी अनुवाद सहित संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, राजकीय शाखा मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को आगामी असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4 के खण्ड-ख के परिनियम आदेश में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

मुद्रित अधिसूचना की 500 प्रतियां कृपया ग्राम्य विकास अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश सचिवालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

सुशील कुमार पाण्डेय
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Uttar Pradesh Shasan
Gram Vikas Anubhag-2

In the pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no.-48/2016/sa-778/38-2-2016-32B/2013, Dated: December 20 , 2016.

NOTIFICATION

No.-48/2016/sa-778 / 38-2-2016-32B/2013.
Lucknow: Dated:December 20 , 2016

In excercise of powers under section 3 of the Uttar Pradesh Kshettra Panchayats and Zila Panchayats Adhiniyam, 1961 (U.P. Act. no. 33 of 1961) and in partial modification of notification no. 5445/XXXVIII-3-478-70, dated September 18, 1972 as amended from time to time, the Governor is pleased to create a new Vikas Khand Bewana in district Ambedkarnagar and to modify the rural areas of Vikas Khand Akbarpur and Katehari as specified in coloumn 2 of the Schedule below with effect from the date of this notification and to direct that the Khands mentioned in the said column 2 shall consist of the areas comprise the Nyaya Panchayat circles mentioned against each khand in column 3 of the Schedule below :-

SCHEDULE

Name of District	Name of Khand	Nyaya Panchayat circle which shall constitute the area of the Khand
1	2	3
Ambedkarnagar	Akabarpur	Ariya, Chandpur Bhatpura, Afajalpur, Ramnagar Narsinghpur, Bariawan, Satarahi, Lalapur, Bahorikpur, Songaon, Saidapur, Naili, Jallapur, village panchayat of Chandanpur- Chandanpur, Peerpur, Yahiya Kamalpur, Sisani Akhaipur, Kajari Nandapur, Saidpur Bhitri, Ismailpur Ganj, Belaua Bariarpur and Alampur Akhai.
	Katehari	Maharua Gola, Asarafpur Barawan, Annawan, Chiutipara, Khemapur, Marthua Saraiya, Sabana, Patappur Charmukha, Subherpur village panchayats of Aurangnagar- Aurangnagar, Pataura, Adampur Tindauli, Sarkhani, Kisunipur, Harishchandrapur, Kharagpur, Aatdih, Khjurdih and village panchayats of Nasirpur- Nasirpur, Subhkharpur, Balaipur, Mathani, Pitambarpur.
	Bewana	Kurcha, Bewana, Tarakhurd, Rampur Sakarwari, village panchayat of Chandanpur- Allipur

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		Kodara, village panchayats of Aurangnagar-Hardopur, Narainpur and Aangwal, village panchayats of Nasirpur- Samaspur, Baramadpur Lohara, Mansapur and Gosarpur.

By Order,

Deepak Trivedi
Principal Secretary.

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।